

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी—श्रीमती सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर
98 / 2025

तारीख रजू
01.10.2025

तारीख निर्णय
23/03/2026

लोकेश कुमार मीना पुत्र पाण्डूराम, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर

—वादी

बनाम

1. कंचन पुत्र रामदेव, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
2. बच्चूसिंह पुत्र रामदेव, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
3. भवानी सिंह पुत्र पाण्डूराम, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
उपस्थित :- श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी की सहखातेदारी की भूमि खाता संख्या 102, 101, 67 ग्राम नयागाँव तहसील वजीरपुर मे स्थित है। वादी अपने उक्तानुसार समस्त खातेदारी के हिस्से पर काबिज काश्त है। किसी दीगर व्यक्ति का वादी की भूमि से कोई सरोकार वास्ता नहीं है। सम्पूर्ण भूमि को वादी ने अपनी दादी स्व. सुआ बाई मीना पत्नी फूलचंद मीना से दिनांक 22.7.1987 को वसीयत नामा रजिस्टर्ड से प्राप्त हुई है। चूकि वसीयत के समय वादी की आयु 3 वर्ष थी जिसके नामान्तकरण मे वादी का बोलता नाम मैकीन दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का सही नाम लोकेश कुमार मीना पुत्र पाण्डूराम मीना हे। वादी के समस्त सरकारी दस्तावेजों मे भी वादी का नाम लोकेश कुमार मीना दर्ज है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 101, 102, 67 स्थित ग्राम नयागाँव तह0 वजीरपुर मे दर्ज वादी का नाम मैकीन के स्थान पर लोकेश कुमार मीना दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया।
प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने अपने जबाब मे वादी का नाम मैकीन के
स्थान पर लोकेश कुमार मीना शुद्ध दर्ज करने मे अपनी सहमती प्रस्तुत की
है।



[Handwritten signature]

तहसीलदार वजीरपुर ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि ग्राम नयागाँव के खाता संख्या 102, 101, 67 मे खातेदार मैकीन पुत्र पाण्डूराम मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह भूमि वादी को उसकी स्व० दादी सुआ बाई मीना पत्नी फूलचंद मीना से वसीयत द्वारा नामा. संख्या 7 निर्णय दिनांक 18.5.89 से मैकीन पुत्र पाण्डूराम के नाम आयी है। जिसकी मौके पर जाँच करने पर उपस्थित लोगों ने बताया कि मैकीन पुत्र पाण्डूराम व लोकेश कुमार मीना पुत्र पाण्डूराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। वादी के अन्य दस्तावेजों यथा जनआधार कार्ड, अंकतालिका आदि मे लोकेश कुमार मीना पुत्र पाण्डूराम दर्ज है।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं० 2075 से 2078 खाता संख्या 67, 101, 102 ग्राम नयागाँव, फोटोकॉपी रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 22.7.87, फोटोकॉपी आधार कार्ड लोकेश मीना प्रस्तुत किए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषकगण वादी सुनी गई।

वादी के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादी का वाद डिक्री करते वादी का नाम मैकीन के स्थान पर लोकेश कुमार मीना करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी सं० 2075 से 2078 के अनुसार भूमि खाता संख्या 101, 102, 67 ग्राम नयागाँव मैकीन पुत्र पाण्डूराम की सहखातेदारी की भूमि है। वादी द्वारा प्रस्तुत फोटोकॉपी वसीयतनामा दिनांक 22.7.87 के अनुसार वादी को उसकी दादी द्वारा यह रजिस्टर्ड वसीयत की गई है तथा इसी वसीयत के आधार पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे वादी का नाम मैकीन पुत्र पाण्डूराम दर्ज किया गया है। वादी द्वारा अपने वादपत्र के साथ प्रस्तुत आधारकार्ड मे वादी का नाम लोकेश कुमार मीना अंकित है तथा तहसीलदार वजीरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे भी तहसीलदार वजीरपुर द्वारा खाता संख्या 101, 102, 67 मे वादी का नाम मैकीन के बजाय लोकेश कुमार मीना शुद्ध करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमाबंदी संवत् 2075-78 ग्राम नयागाँव खाता संख्या 101, 102, 67 वादी का नाम मैकीन के स्थान पर लोकेश कुमार मीना शुद्ध करने के आदेश



Sumit

लोकेश बनाम कंचन वगैरा, दावा

(3)

दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी। पालना हेतु तहसीलदार वजीरपुर को पत्र जारी किया जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली निर्णितशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/03/2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(सुधारानी मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

डिकरी व मुकदमे इबादाई

Judi/Civil

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी)

Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम वजीरपुर
इजलास सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

उनवान

लोकेश कुमार मीना पुत्र पाण्डूराम, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर

—वादी

बनाम

1. कंचन पुत्र रामदेव, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
2. बच्चूसिंह पुत्र रामदेव, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
3. भवानी सिंह पुत्र पाण्डूराम, मीना निवासी नयागाँव तह0 वजीरपुर
4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार वजीरपुर

—प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणां खातेदारी, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. —98/2025


यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी द्वारा प्रस्तुत वाद डिक्री किया जाकर जमांबदी संवत 2075—78 ग्राम नयागांव खाता संख्या 101, 102, 67 वादी का नाम मैकीन के स्थान पर लोकेश कुमार मीना शुद्ध करने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। इन खातों में दर्ज अन्य प्रविष्टियाँ यथावत रहेगी।


पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/03/2026 को जारी किया गया।



(सुधारानी मीना केलेक्टर
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

मुद्दई	रकमया	पैसा	मुद्दायलह	रकमया	पैसा
स्तान्म अर्जादावा					
स्तान्म वकातदानाना			स्तान्म वकातदानाना		
स्तान्म वजह सडुत			स्तान्म पर्ची		
महनदाना वकील			महनदाना वकील		
खर्चा मवाहान			खर्चा मवाहान		
फौस कनिश्तर			फौस कनिश्तर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुकमाना			हुकमाना		
मुतफरिफ			मुतफरिफ		
नांजान			नांजान		




 (सुधारणी लिपि)
 उभ जिला कलक्टर
 वजीरपुर